रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED No. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 18, 1976 (अग्रहायण 27, 1898)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 18, 1976 (AGRAHAYANA 27, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 30 नवम्बर 1976 तक प्रकाशित किए गए हैं:—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 30th November 1976 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
216.	सं० आर० एस० 1/4/76 एल० दिनांक 18 नवम्बर, 1976।	राज्य सभा सचिवालय	राष्ट्रपति राज्य सभा का सत्रावसान करते हैं ।
	No. R. S. 1/4/76 L, dated 18th November, 1976	Rajya Sabha Secretariat	The President prorogues the Rajya Sabha.
217.	सं० 113-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 19 नवम्बर, 1976।	वाणिज्य मन्त्रालय	लघु उद्योग एककों के लिए अर्थयुक्त किए जाने की विधि ।
	No. 113-ITC (PN)/76, dated 19th November, 1976.	Ministry of Commerce	Models of financing for Small Scale units.
218.	सं० 114-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 20 नवम्बर, 1976।	वाणिज्य मन्त्रालय	मशीनरी के आयात के लिए निर्यात अभिमुख उद्योगों के लिए सुविधाएं ।
	No. 114-ITC (PN)/76, dated 20th November, 1976.	Ministry of Commerce	Facilities to export-oriented industries for the import of machinery.
	स० 115-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76 दिनांक 20 नवम्बर, 1976।	तदैव	रेड बुक (वा० 1) के परिशिष्ट 80 में उल्लिखित मशीनरी और मशीन औजारों के आयात के लिए सुविधाएं ।
	No. 115-ITC (PN)/76, dated 20th November, 1976.	Do.	Facilities for the import of machinery and machine tools detailed in Appendix 80 of the Red Book (Vol. I)

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
	सं० 116-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 20 नवम्बर, 1976।	वाणिज्य मंत्रालय	पूंजीगत उपस्कर के आयात में उदारता बरतना।
	No. 116-ITC (PN)/76, dated 20th November, 1976	Ministry of Commerce	Liberalisation in import of capital equipment.
	सं० 117-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 20 नवम्बर, 1976।	तदैव	महा-निदेशक तकनीकी विकास के एककों द्वारा पूंजीगत माल का आयात।
	No. 117-ITC (PN)/76, dated 20th November, 1976.	Do.	Import of capital goods by D. G. T. D. Units.
219.	सं० 118-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 22 नवम्बर, 1976।	वाणिज्य मन्त्रालय	पोलिएस्टर फाइबर का आयात लाईसेंस अवधि अप्रैल, 1976—मार्च, 1977 के लिए आयात नीति।
	No. 118-ITC (PN)/76, dated 22nd November, 1976.	Ministry of Commerce	Import of Polyester Fibre : Import policy for the licensing period April, 1976—March, 1977.
220.	सं० 119-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 23 नवम्बर, 1976।	वाणिज्य मन्त्रालय	अप्रैल 1976—मार्च 1977 के लिए आयात नीति।
	No. 119-ITC (PN)/76, dated 23rd November, 1976.	Ministry of Commerce	Import Policy for April, 1976—March, 1977.
221.	सं० 31-ई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 24 नवम्बर, 1976।	वाणिज्य मन्त्रालय	अभ्रक की विभिन्न किस्मों, वर्गों और स्वरूपों के जहाज तक निशुल्क मूल्य/जहाज पर निशुल्क कीमत को प्रदर्शित करने वाली कीमत अनुसूची और उनके निर्यात के लिए लागू शर्तें।
	No. 31-E T C (PN)/76, dated 24th Nov., 1976	Ministry of Commerce	Price schedule showing FAS/F. O. B. prices of different varieties, grades and qualities of mica and other conditions applicable to their export.
222.	सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन०-72/76, दिनांक 25 नवम्बर, 1976।	राजस्व और बैंकिंग विभाग	सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में संशोधन।
	No. Drawback/PN/72/76, dated 25th November, 1976	Deptt. of Revenue and Banking.	Amendments to Public Notice No. Drawback/PN-1 of 15th October, 1971.
	सं० प्रतिग्रवायगी/पी० एन०-73/76, दिनांक 25 नवम्बर 1976।	तदैव	सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1976 के संशोधन।
	No. Drawback/PN-73/76, dated 25th November, 1976	Do	Amendments to Public Notice No. Drawback/PN-1, dated 15th october, 1976.
223.	सं० 32-ई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 26 नवम्बर, 1976।	वाणिज्य मन्त्रालय	अभ्रक की विभिन्न किस्मों, वर्गों और स्वरूपों के जहाज तक निशुल्क मूल्यों जहाज पर निशुल्क मूल्यों को प्रदर्शित करने वाली दर अनुसूची और उनके निर्यात के लिए लागू अन्य शर्तें।
	No. 32 E T C (PN)/76, dated 26th November, 1976.	Ministry of Commerce	Price schedules showing FAS/FOB prices of different varieties, grades and qualities of mica and other conditions applicable to their exports.

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
224.	सं० 120-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 26 नवम्बर, 1976।	वाणिज्य मन्त्रालय	अप्रैल, 1976—मार्च 1977 के लिए आयात नीति वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि।
	No. 120-ITC (PN)/76, dated 26th November, 1976.	Ministry of Commerce	Import Policy for April, 1976—March 1977; Last date for submission on applications by actual users.
	सं० 121-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 26 नवम्बर, 1976।	तदैव	अप्रैल 1976—मार्च 1977 के लिए आयात नीति।
	No. 121-ITC (PN)/76, dated 26th November, 1976.	Do.	Import Policy for April 1976—March 1977;
225.	सं० प्रतिअदायगी सा० सू 74/76 दिनांक 30 नवम्बर, 1976।	राजस्व और बैंकिंग विभाग	सार्वजनिक सूचना सं प्रतिअदायगी सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में संशोधन।
	No. Drawback/PN-74/76, dated 30th November, 1976.	Deptt. of Revenue and Banking.	Amendments to the Public Notice No. Drawback/PN-1, dated 15th October, 1971.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियाँ प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम माँग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। माँग-पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	845
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1983
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1699
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	3075
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	4403
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	417
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	10539
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	991
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	77
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	2455
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	215

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	845
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1983
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1699
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3075
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	4403
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	417
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	10539
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	991
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	77
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2455
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	215

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर, 1976

सं० ई०-11015(1)/75-हि० अ०:—भारत के राजपत्र दिनांक 24 जुलाई, 1976 के भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित 24 जुलाई, 1976 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक रूप भेद करते हुए, क्रमांक 4 तथा 18 में उल्लिखित राज्य मंत्री श्री ए० सी० जार्ज तथा तत्कालीन पूर्ति और सहकारिता विभाग के सचिव का नाम निकाल दिया जाए। साथ ही क्रमांक 22 तथा 24 में उल्लिखित औद्योगिक विकास विभाग के संयुक्त सचिव श्री पी० बी० कृष्णमूर्ति एवं श्री ए० एफ० कुटी के स्थान पर औद्योगिक विकास विभाग के संयुक्त सचिव, श्री आई० महादेवन तथा संयुक्त सचिव श्री बी० आर० आर० आयंगर के नाम रखे जाएं।

विनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर, 1976

सं० 2(36) एम० बी० एण्ड पी०/76:—राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 के अधिनियम 21) के अन्तर्गत एक सोसायटी के रूप में रजिस्टर्ड है के नियमों के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार उक्त नियम के नियम (क) के अधीन केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० त्रिवेन्द्रम के अध्यक्ष श्री के० टी० जण्डी को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के शासी निकाय का 1 नवम्बर, 1976 से अग्रेतर दो वर्षों के लिए अध्यक्ष नामित करती है।

बी० एन० माथुर, अवर सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(सिंचाई विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर, 1976

संकल्प

सं० 44/1/76-प्रशासन-एक:—केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसंधान शाला, पूना के कार्यों तथा संगठन संबंधी पहलुओं पर विचार करने के लिए समिति की स्थापना करने के संबंध में इस मंत्रालय के 26 जून, 1976 के संकल्प सं० 44/1/76-प्रशासन-एक के साथ पठित दिनांक 15 अप्रैल, 1976 के समसंख्यक संकल्प में :—

(1) पैरा 4 क्रम संख्या 9 में वर्तमान प्रविष्टि अर्थात् "(श्री एस० टी० वीरराघवन, निवेशक (सिंचाई और विद्युत्) वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, सदस्य" के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :—

"श्री बी० एम० के० मट्टू,
वित्तीय सलाहकार,
सिंचाई विभाग,
नई दिल्ली . . . . सदस्य"

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मुकेश नन्द, अवर सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर, 1976

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों हेतु एक परामर्शदात्री समिति का गठन

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग की इंजीनियरिंग कार्मिक समिति ने आने वाली पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक परियोजनाओं और विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित इंजीनियरिंग जनशक्ति के लक्ष्यों का सुझाव दिया था। औद्योगिक विकास हेतु सुप्रशिक्षित जन शक्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मन्त्रिमण्डल की वैज्ञानिक जनशक्ति समिति ने इंजीनियरी जन शक्ति के इन प्राक्कलनों के अनुसारण में अन्य बातों के साथ-साथ आकार में राज्य कालेजों से बड़े और पर्याप्त सुविधा सम्पन्न 15 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की स्थापना का निर्णय लिया।

ये 15 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज केन्द्रीय सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से आरम्भ होने थे जिनमें विद्यार्थियों और अध्यापकों की भर्ती सारे देश में से की जानी थी ताकि संस्थाएं अखिल भारतीय स्वरूप की बन सकें :—

ये संस्थाएं वर्ष 1959 से 1964 के बीच पृथक-पृथक स्वायत्त संस्था के रूप में, वारंगल (आन्ध्र प्रदेश), सुरतकल (कर्नाटक), नागपुर, (महाराष्ट्र), भोपाल (मध्य प्रदेश), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), जमशेदपुर (बिहार), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर), इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश), सूरत (गुजरात), कालीकट (केरल), राऊरकेला (उड़ीसा), जयपुर (राजस्थान), कुरुक्षेत्र (हरियाणा), तिरुचिरापल्ली (तिमिलनाडु) तथा सिलचर (असम) में स्थापित की गई थी। (15वां कालेज सिलचर में स्थापना की प्रक्रिया में है)।

केन्द्रीय सरकार ने 1972 में इन संस्थाओं की विकास प्रगति के मूल्यांकन और उनके आगे के विकास हेतु अनुदेश देने के लिए, एक पुनरीक्षण समिति नियुक्त की। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने 1974 में पुनरीक्षण समिति की उस समय प्रस्तुत रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार करते हुए, यह संकल्प किया कि केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को परामर्श देने और इन क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों से सम्बन्धित सभी नीति मामलों की मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित करने के लिए एक परामर्शदात्री समिति गठित कर सकती है।

उसके बाद, मई, 1976 में अपनी बैठक में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने परामर्श समिति के गठन की सिफारिश की। तदनुसार यह निर्णय लिया गया था कि क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के लिए एक परामर्शदात्री समिति का गठन शीघ्र ही कर लिया जाए।

2. कार्य

यह स्पष्ट है कि परामर्शदात्री समिति को गठित करने का निर्णय क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के शासी मण्डलों के उनकी संस्थाओं से संबंधित कार्यों को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेगा।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सिफारिशों के अनुसरण में, परामर्शदात्री समिति निम्नलिखित कार्य निष्पादित करेगी :—

(i) सभी क्षेत्रीय कालेजों के कार्यों को समन्वित करना।

(ii) सम्बन्धित सम्बद्ध विश्वविद्यालयों के सामान्य नियमों के ढांचे के अन्दर आने वाले पाठ्यक्रम की अवधि, प्रवेश स्तर तथा अन्य शैक्षणिक मामलों से सम्बन्धित विषयों पर सलाह देना ;

(iii) संयंत्र तैयार करना ; भर्ती की पद्धति, कर्मचारियों की सेवा शर्तें; छात्रवृत्तियां तथा निःशुल्क वृत्तियां देना, शुल्क लगाना तथा सामान्य हित के अन्य मसाले आदि जैसे मामलों पर नीति निर्धारण करना।

(iv) प्रत्येक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज की विकास सम्बन्धि योजनाओं की जांच करना; और उनमें से ऐसी योजनाओं को अनुमोदित करना जिन्हें आवश्यक समझा जाए; तथा उक्त स्वीकृत योजनाओं में लगने वाले धन का विस्तृत रूप से दर्शाना।

(v) प्रत्येक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज के वार्षिक बजट प्राक्कलन की जांच करना; तथा इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को धन राशि के आबंटन की सिफारिश करना;

(vi) अन्य ऐसे कार्य करना जो इसे समय समय पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के परामर्श पर केन्द्रीय सरकार सौंपे।

3. गठन

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के मुख्य हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली निम्नलिखित परामर्शदायी समिति के संगठन को स्वीकार कर लिया गया है।

1. केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री	. . .	अध्यक्ष
2. विश्वविद्यालय अनुदान	. . .	सदस्य
3. आयोग का अध्यक्ष		
(3) से (6) तक	प्रत्येक क्षेत्र के क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज सोसाइटी का अध्यक्ष बारी बारी से (जिसने अखिल, भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सिफारिशों पर शासी बोर्ड का गठन परिवर्तित कर लिया है)।	सदस्य
(7) से (10) तक	प्रत्येक क्षेत्र के क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज के एक प्रिंसिपल (जिसने शासी बोर्ड का गठन परिवर्तित कर लिया है) बारी बारी से ऐसे चयन किया गया हो कि उसी कालेज के शासी बोर्ड का अध्यक्ष एक साथ ही समिति का सदस्य भी न हो।	सदस्य
(11) से (14) तक	प्रत्येक क्षेत्र से क्षेत्रीय इन्जीनियरी कालेज का एक प्रोफेसर (जिसने शासी बोर्ड का गठन परिवर्तित कर लिया हो)। यह प्रोफेसर बारी से ऐसे चुना गया हो कि न तो शासी बोर्ड का अध्यक्ष, और न ही उसके कालेज का प्रिंसिपल, उक्त एक ही समय में समिति का सदस्य हो।	सदस्य
(15)	भारत सरकार के शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
(16)	भारत सरकार के शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार	सदस्य
(17)	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति।	सदस्य
(18)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् के अध्यक्ष द्वारा भा० प्रो० संस्थानों में से एक मनोनीत किया गया एक निदेशक	सदस्य
(19)	भारत सरकार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग का एक मनोनीत व्यक्ति।	सदस्य
(20)	आयोजना आयोग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(21)	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(22) से (25) तक	उद्योग से चार व्यक्ति, अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक क्षेत्र से नामांकित एक-एक व्यक्ति।	सदस्य
(26)	संयुक्त शिक्षा सलाहकार (तक), शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।	सदस्य सचिव

कार्यालय की अवधि

गैर सरकारी सदस्य जो कि पहले सलाहकार समिति में नामजद है, के कार्यालय की अवधि सलाहकार समिति की पहली बैठक के पहले दिन से तीन वर्ष तक के लिए मानी जाएगी तथा उसके पश्चात अन्य नामांकित गैर सरकारी सदस्यों के कार्यालय की अवधि समिति की पहली बैठक के पहले दिन से तीन वर्ष की बची हुई अवधि के लिए मानी जाएगी। समिति के सरकारी सदस्य तब तक जारी रहेंगे जब तक कि उनको अपनी अपनी प्रायोजित संस्थाओं द्वारा बदला नहीं जाता। सदस्यों के सभी आकस्मिक रिक्त स्थानों को, (पदेन-सदस्यों को छोड़कर) समिति की विशेष अवधि के बचे हुए समय के लिए अपने अपने प्रायोजित प्राधिकारियों द्वारा भरा जाएगा।

5. समिति की कोई भी कार्यवाही केवल सदस्यों के रिक्त स्थान अथवा स्थानों के कारण ही अवैध नहीं होगी।

6. सलाहकार समिति शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के शिक्षा विभाग के तकनीकी शिक्षा ब्यूरो से सम्बद्ध होगी।

7. पैराग्राफ 3 के अन्तर्गत समिति के सदस्यों के नाम यथासमय घोषित कर दिए जाएंगे।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को भेजी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाये।

एच० एस० शाहानी, संयुक्त शिक्षा सलाहकार (टी०)

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 25th November 1976

CORRIGENDUM

No. E-11015(1)/75HS.—In partial modification of Resolution of even number dated the 2nd July, 1976 published in the Gazette of India dated the 24th July, 1976 Part-I, Section-I, the name of Shri A. C. George Minister of State and the Secretary, the then Department of Supply and Co-operation appearing at serial Nos. 4 and 18 may be deleted. Also, the name of Shri P. B. Krishnamurthy, Joint Secretary and Shri A. F. Cutto, Joint Secretary Department of Industrial Development appearing at serial Nos. 22 and 24 respectively may be replaced by Shri I. Mahadevan, Joint Secretary and Shri B. R. R. Iyengar Joint Secretary, Department of Industrial Development.

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

New Delhi, the 30th November 1976

No. 2(36)/SD&P/76.—By virtue of the powers vested in the Government of India under Rule 3 of the Rules of the National Productivity Council, which has been registered as a society under the Societies Registration Act, 1860 (Act XXI of 1860), the Government of India are pleased to nominate,

under Clause (a) of the said Rule, Shri K. T. Chandy, Chairman, Kerala State Industrial Development Corporation Ltd., Trivandrum, as Chairman of the Governing Body of the National Productivity Council for a further period of two years with effect from the 1st November, 1976.

B. N. MATHUR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF IRRIGATION)

New Delhi, the 22nd November 1976

RESOLUTION

No. 44/1/76-Adm.I.—In this Ministry's Resolution No. 44/1/76-Adm.I., dated the 15th April, 1976 read with the Resolution of the same Number dated the 26th June, 1976, regarding setting up of a Committee to go into the functional and organizational aspects of the Central Water and Power Research Station, Poona :

(1) For the existing entry at S. No. 9 in para 4 viz. "Shri S. T. Veeraraghavan, Director (I & P) Ministry of Finance, New Delhi, Member" the following shall be substituted :—

"Shri B. M. K. Mattoo,
Financial Adviser,
Department of Irrigation, New Delhi. . .Member".

MUKESH CHAND, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 23rd November 1976

RESOLUTION

Constitution of an Advisory Committee for the Regional Engineering Colleges

No. F. 37-15/76T4.—During the Second Five Year Plan, the Engineering Personnel Committee of the Planning Commission had suggested the targets for the engineering manpower necessary for the implementation of the industrial projects and developmental plans during the successive Five Year Plans. The Scientific Manpower Committee of the Cabinet in pursuance of these estimates of engineering manpower decided, *inter alia*, to establish 15 Regional Enginering Colleges, larger in size than the State Colleges and with adequate facilities built-in for the objective of well-trained manpower to be made available for industrial development. These 15 Regional Engineering Colleges were to be started as a joint venture between the Central Government and the State Government concerned, with the students and the teachers being recruited from all over the country to enable the Institutions to have an all-India character.

These Institutions were established between the period 1959 to 1964, each as an autonomous Institutions, at Warangal (Andhra Pradesh), Surathkal (Karnataka), Nagpur (Maharashtra), Bhopal (Madhya Pradesh), Durgapur (West Bengal), Jamshedpur (Bihar), Srinagar (Jammu & Kashmir), Allahabad (Uttar Pradesh), Surat (Gujarat), Calicut (Kerala) Rourkela (Orissa), Jaipur (Rajasthan), Kurukshetra (Haryana), Tiruchirapalli (Tamil Nadu), and Silchar (Assam) (The fifteenth College at Silchar is in the process of establishment).

In 1972, the Central Government appointed a Review Committee to evaluate the progress of development of these Institutions and to give directions for their further development. The All India Council for Technical Education in 1974, while considering the recommendations made in the Report of the Review Committee submitted at that time, resolved that the Central Government may constitute an Advisory Committee to advise the Union Education Minister and to lay down guidelines on all policy matters concerning these Regional Engineering Colleges.

Subsequently at its meeting in May, 1976 the All India Council for Technical Education recommended the composition of the Advisory Committee. Accordingly, it was decided that an Advisory Committee for the Regional Engineering Colleges may be set up immediately.

2. *Functions*

It will be understood that the decision to set up an Advisory Committee will not in any way prejudice the functions of the respective Boards of Governors of the Regional Engineering Colleges with regard to their institutions.

In pursuance of the recommendations of the All India Council for Technical Education the Advisory Committee shall perform the following functions :—

(i) To co-ordinate the functions of all the Regional Engineering Colleges.

(ii) To advise on matters relating to the duration of the Courses, admission standards and other academic matters within the framework of the general regulations of the concerned affiliating Universities.

(iii) To lay down policy regarding cadres, methods of recruitment and conditions of service of employees, institution of scholarships and freeships, levying of fees and other matters of common interest.

(iv) To examine the development plans of each Regional Engineering College and to approve such of them as are considered necessary and also to indicate broadly the financial implications of such approved plans.

(v) To examine the annual budget estimates of each Regional Engineering College and to recommend to the Central and State Government the allocation of funds for the purpose.

(vi) To perform such other functions as may be assigned to it by the Central Government on the advice of the All India Council for Technical Education from time to time.

3. *Constitution*

The composition of the Advisory Committee representing the main interests of the Regional Engineering Colleges as mentioned below has been accepted :

Chairman

(1) Union Education Minister

Members

(2) Chairman of the University Grants Commission

(3) to (6) Chairman of one Regional Engineering College Society (which have changed the constitution of the Board of Governors in accordance with the recommendations of All India Council for Technical Education) in each region by rotation.

(7) to (10) One Principal of a Regional Engineering College (which have changed the constitution of the Board of Governors) from each region, so selected by rotation that the Chairman of Board of Governors of the same College is not concurrently a Member of the Committee.

(11) to (14) One Professor of Regional Engineering College (which have changed the constitution of the Board of Governors) from each region, so selected by rotation that neither the Chairman, Board of Governors, nor the Principal of his College is concurrently a Member of the Committee.

(15) A representative of the Ministry of Education & Social Welfare, Government of India.

(16) Financial Adviser, Ministry of Education & Social Welfare, Government of India.

(17) A nominee of the AICTE.

(18) One of the Directors of IITs nominated by the Chairman IIT Council.

(19) A nominee of the Department of Science and Technology, Government of India.

(20) A representative of the Planning Commission.

(21) A representative of the CSIR

(22) Four persons from industry, one from each region to be nominated by the Chairman.

to (25

Member-Secretary

(26) Joint Educational Adviser (Tech.), Ministry of Education & Social Welfare, Government of India.

4. *Term of office*

The term of office of non-official members who are at first nominated to the Advisory Committee shall be three years reckoned from the first day of the first meeting of the Advisory Committee and the term of office of other non-official members subsequently nominated shall be for the remaining period of the term of three years reckoned from the first day of the first meeting of the Committee. The official members of the Committee will continue until they are replaced by their respective sponsoring organisations. All casual vacancies among the members (other than ex-officio members) shall be filled by the respective sponsoring authorities for the remaining period of the particular term of the Committee.

5. No proceedings of the Committee shall be invalidated merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among the members.

6. The Advisory Committee will be attached to the Technical Education Bureau of the Department of Education of the Ministry of Education and Social Welfare.

7. Names of the members of the Committee under paragraph 3 will be announced in due course.

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, all the Ministries of the Government of India and all the Regional Engineering Colleges.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

H. S. SHAHANI, Jt. Educational Adviser(T).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976